बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. 1838 के अधिनियम सं० 5 की धारा 12, 14, 32 और 37 का निरसन ।

2. कारबार का प्रबन्ध ।

3. निदेशकों का वार्षिक निर्वाचन ।

4. निदेशकों की अर्हता ।

5. सामान्य साधारण अधिवेशन ।

6. उपविधियां ।

7. निगम का विघटन ।

बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम

(1854 का अधिनियम संख्यांक 5)

[10 फरवरी, 1854]

बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम से संबंधित 1838 के अधिनियम संख्यांक 5 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—बंगाल बन्धपत्राधीन भाण्डागार संगम चाहता है कि 1838 के अधिनियम संख्यांक 5 के उपबन्धों में किया जाए और यह समुचित प्रतीत होता है कि ऐसा संशोधन किया जाए; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [**1838 के अधिनियम सं० 5 की धारा 12, 14, 32 और 37 का निरसन ।**]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14), धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित ।

2. कारबार का प्रबन्ध—उक्त संगम के कारबार का प्रबन्ध छह निदेशकों द्वारा किया जाएगा जिनमें से गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

3. निदेशकों का वार्षिक निर्वाचन—दो निदेशक जिन्हें प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम से अपने पद से हटना है अपने पद से मई के महीने में स्वत्वधारियों के सामान्य साधारण अधिवेशन के किए जाने से पहले हटेंगे । उक्त अधिवेशन उसी महीने में करने का आदेश दिया गया है । ऐसे सामान्य साधारण अधिवेशन में दो निदेशक चुने जाएंगे और इस प्रकार हटने वाले निदेशक या उनमें से कोई उसी वर्ष ऐसे साधारण अधिवेशन में पुन: चुने जाने का पात्र होगा ।

4. निदेशकों की अर्हता—कोई व्यक्ति उक्त संगम का निदेशक होने का पात्र न होगा जो उक्त संगम के पूंजी स्टाक के पांच शेयरों का स्वाधिकार में स्वत्वधारी न हो ।

5. सामान्य साधारण अधिवेशन—उक्त स्वत्वधारियों के सामान्य साधारण अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार किए जाएंगे अर्थात् मई के महीने में दूसरे बुधवार को और नवम्बर के महीने में दूसरे बुधवार को और प्रत्येक ऐसे अधिवेशन में उक्त संगम के निदेशक संगम के क्रियाकलापों की एक लिखित रिपोर्ट और एक तुलन-पत्र प्रस्तुत करेंगे, और ऐसा साधारण अधिवेशन उक्त संगम के लाभ में से लाभांश की घोषणा कर सकेगा परन्तु यह कि ऐसा कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा जिससे उक्त संगम की पूंजी कम हो ।

6. उपविधियां—उक्त संगम के लिए विधिपूर्ण होगा कि अपनी कार्यवाहियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाए । ये उपविधियां उसके अपने सदस्यों और अधिकारियों पर ही लागू होंगी परन्तु यह कि ऐसी कोई उपविधि विधिमान्य न होगी जब तक उसे स्वत्वधारियों के विशेष रूप से इस प्रयोजन से बुलाए गए एक असाधारण सामान्य अधिवेशन द्वारा अनुमोदित न कर लिया जाए परन्तु यह भी कि ऐसी कोई उपविधि तभी विधिमान्य होगी जब [1][केन्द्रीय सरकार] उसकी पृष्टि कर दे ।

7. निगम का विघटन—18 मार्च, 1860 के पश्चात् किसी भी समय केन्द्रीय सरकार के लिए सपरिषद् आदेश द्वारा यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि उक्त संगम ऐसे आदेश की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर विघटित कर दिया जाए और ऐसे आदेश का यह प्रभाव होगा कि 1838 के अधिनियम संख्यांक 5 में उल्लिखित प्रयोजनों के सिवाय उक्त निगम पांच वर्ष के उक्त अन्तराल की समाप्ति पर विघटित हो जाएगा ।

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिन्डेन्सी का गवर्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।